प्रेषक,

निदेशक, पंचायती राज,
उत्तर प्रदेश।

प्रथम आवंटन
आयोजनागत–अनुदान सं0–14
तेरह अंको का कोड–2515000010300

सेवा मे,

आहरण वितरण अधिकारी,
पंचायती राज निदेशालय,उ0प्र0।

संख्या 1/शा0/4/2012–1/13/2012 : लखनऊः दिनांक 16 अप्रैल ,2012

विषयः–चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 में लेखानुदान के माध्यम से प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष प्रथम चार माहों (अप्रैल, 2012 से जुलाई, 2012 तक) में अनुदान संख्या–14 के अधीन लेखाशीर्षक 2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–आयोजनागत–001–निदेशन तथा प्रशासन–03– पंचायतीराज, निदेशालय, परियोजना प्रबन्ध इकाई **(बी0आर0जी0एफ0)** के अन्तर्गत व्यय हेतु धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपयुर्क्त विषयक उप सचिव, पंचायती राज अनुभाग–3 उ0प्र0 शासन के शासनादेश सं0–660/33–3–2012–100(17)/2011 दिनांक 10 अप्रैल, 2012 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012–13 के लेखानुदान के माध्यम से प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष प्रथम चार माहों (अप्रैल, 2012 से जुलाई, 2012 तक) में परियोजना प्रबन्ध इकाई **(बी0आर0जी0एफ0)** के अधिष्ठान मद में व्यय हेतु संलग्न विवरण के अनुसार धनराशि आवंटित की जाती है।

उपर्युक्त धनराशि निम्नलिखित शतों एवं प्रतिबंधों के अधीन आवंटित की जाती हैः–

1– यह ध्यान रहे कि धनराशि का आवंटन मात्र ही किसी भी प्रकार के व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है। आहरण के पूर्व अन्य संगत नियमों/निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय।

2– आवंटित धनराशि का व्यय किसी ऐसे मद में कदापि न किया जाय जिसके लिये वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुअल के अन्तर्गत शासन या सक्षम अधिकारी की स्वीकृति व सहमति आवश्यक है। ऐसे व्यय शासन/सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति व सहमति प्राप्ति करने के उपरान्त ही किया जाये। कृपया सुनिश्चित किया जाये कि धनराशियों का व्यय प्रतिमाह कुल धनराशि का 1/4 भाग ही हो यदि किसी माह में 1/4 भाग से अधिक की धनराशि के व्यय का औचित्य पाया जाय तो उस धनराशि के व्यय करने से पूर्व निदेशालय की अनुमति प्राप्त किया जाय। आपको पुनः स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त धनराशि की प्राप्ति की प्रत्याशा में अनाधिकृत एंव अधिक व्यय कदापि न किया जाय। व्यय आवंटित धनराशि तक ही सीमित रखा जाय। किसी प्रकार के अधिक व्यय के लिये अथवा अनाधिकृत व्यय के लिये आहरण एवं वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगें। बजट की किसी भी ऐसी प्राथमिक इकाईयां लेखाशीर्षक के सापेक्ष व्यय न किया जाये जिसके लिये बजट में प्राविधान नहीं है।

3– नियमानुसार अनुमन्य धनराशि ही वेतन मद में आहरित की जाये। गलत तथा अधिक आहरण के लिये आहरण वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगें।

4– कोषागार से आहरित धनराशि का विवरण प्रत्येक माह निर्धारित प्रपत्र बी0एम0–4 में अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाये। बी0एम0–4 पर बने सभी कालम आवश्य भरे जाय तथा विवरण में कोषागार वाऊचर संख्या तथा दिनांक एवं धनराशि का उल्लेख अवश्य किया जाये।

5– यदि बी0एम0–4 में सूचना नही भेजी जाती है तो गबन आदि की कोई भी घटना होने पर संबंधित आहरण वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से सीधे जिम्मेदार होगा।

6– आहरण वितरण अधिकरी को बजट अगली बार तभी आवंटित किया जायेगा जब उपयुर्क्तानुसार बी0एम0–4 पर सूचना तथा अतिरिक्त बजट का औचित्य प्राप्त हो जाये।

7– यदि किसी मद में धनराशि समर्पित की जानी है तो संबंधित कोषागार का प्रमाण–पत्र नोट कराना आवश्यक होगा।

8– एक बार धनराशि समर्पित किये जाने के बाद नियमानुसार निदेशक की लिखित स्वीकृति के बिना उस धनराशि को कोषागार से आहरित न किया जाये। अतः यदि समर्पण के बाद बिना अनुमति के कोई धनराशि कोषागार से आहरित की जाती है तो उसके लिये आहरण वितरण अधिकारी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी।

9— यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि आहरित धनराशि के प्रत्येक बिल पर सही मुख्य, उप—मुख्य —लघु, विस्तृत लेखाशीर्षक अवश्य अंकित किया जाये ताकि महालेखाकार कार्यालय में सही बुंकिंग में बाधा न हो तथा प्रत्येक बिल के ऊपर दाहिनी ओर लाल स्याही से आयोजनागत शब्द अवश्य अंकित किया जाये जिसके लिये रबर की मोहर अधिक श्रेयष्कर होगी।

10— वर्तमान स्थिति में शासकीय व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है, विशेष रूप से यात्रा व्यय,कार्यालय व्यय, पेट्रोल तथा टेलीफोन पर व्यय में मितव्ययता अवश्य बरती जाये। अतः व्यय करते समय मितव्ययता के संबंध में वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या सी0ए0—934/दस—2008—मित—1/2007 दिनांक 2—9—2008 और समय—समय पर भविष्य में जारी किये गये, शासनादेशों का विशेष रूप से पालन किया जाये ताकि अपव्यय रोका जा सके।

11— व्यय के संबंध में वित्त (आय—व्ययक),अनुभाग—1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या—बी—1 —901/दस—2011—231/11, दिनांक 21 मार्च, 2011 में उल्लिखित निर्देशों का कड़ाई से अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

12— उपयुर्क्त पर होने वाला व्यय अनुदान संख्या—14 के अधीन लेखाशीर्षक —2515—अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम—आयोजनागत—001—निदेशन तथा प्रशासन—03—पंचायतीराज निदेशालय के अन्तर्गत सुसंगत मानक मदो के नामे डाला जायेगा।

13— संबंधित आहरण वितरण अधिकारी आवंटित धनराशि के व्यय का लेखा जोखा रखेंगें तथा व्यय की सूचना निम्नलिखित तिथि तक इस कार्यालय को निश्चित रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें।

1— कोषागार से आहरित धनराशि का मासिक विवरण बी0एम0—4 पर आगामी माह की 5 तारीख तक।
2— प्रारम्भिक व्ययाधिक्य तथा बचत विवरण दिनांक 30—7—2012 तक
3— व्ययाधिक्य तथा बचत का अन्तिम विवरण दिनांक 15—1—2013 तक
4— वर्ष 2012—13 में समर्पण यदि कोई हो, की सूचना दिनांक 5—2—2013 तक

प्रमाणित किया जाता है कि यह आवंटन निदेशालय के आवंटन रजिस्टर के पृष्ठ सख्या—73 पर अंकित है।

संलग्न उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(मुरलीधर दुबे)
निदेशक,
पंचायती राज, उत्तर प्रदेश।

संख्याः 1/शा0/4/1/2012 तद्दिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1—प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश।
2—प्रमुख सचिव, वित्त (व्यय नियंत्रण)अनुभाग—2 उ0प्र0 शासन।
3—महालेखाकार सी0पी0 सी0—2 उ0प्र0 इलाहाबाद।
4—महालेखाकार लेखा एवं हकदारी प्रथम उ0प्र0इलाहाबाद।
5—वरिष्ठ उपमहालेखाकार/स्थानीय निकाय (लेखा परीक्षा एवं लेखा), चौथा तल, 15—ए, महर्षि दयानन्द मार्ग, सत्यनिष्ठा भवन, उ0प्र0 इलाहाबाद।
6—मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7—परियोजना निदेशक, परियोजना प्रबन्ध इकाई (बी0आर0जी0एफ0), उत्तर प्रदेश।
8—तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 नवां तल बापू भवन लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि, उक्त आवंटन विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।

(रमेश चन्द्र राय)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी,
पंचायतीराज, उत्तर प्रदेश।

पंचायती राज निदेशालय, उ0प्र0

Allotment Order Wise Report

आवंटन आदेश संख्या- 001-1-shaa-04-1-2012-13-2012//1

आवंटन की तारीख- 16/04/2012

Treasury Code- 60 जवाहर भवन, लखनऊ

वित्तीय वर्ष- 2012-2013

DDO Code- 2287 निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0

DDO Off. Code- 01

अनुदान संख्या- 14 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)

2515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम
00 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम
001 निदेशन तथा प्रशासन
03 पंचायती राज निदेशालय

कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ

आयोजनागत

(धनराशि रु. में)

मानक मद	पूर्व आवंटन	वर्तमान आवंटन	प्रगामी आवंटन
01 - वेतन	0	640000	640000
02 - मजदूरी	0	11000	11000
03 - मंहगाई भत्ता	0	441000	441000
04 - यात्रा व्यय	0	40000	40000
08 - कार्यालय व्यय	0	333000	333000
09 - विद्युत देय	0	166000	166000
11 - लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	0	166000	166000
13 - टेलीफोन पर व्यय	0	33000	33000
17 - किराया, उपशुल्क और कर-स्वामिस्व	0	166000	166000
26 - मशीनें और सज्जा ,उपकरण और संयंत्र	0	266000	266000
42 - अन्य व्यय	0	66000	66000
46 - कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	0	33000	33000
योग	0	2361000	2361000

रमेश चन्द्र राय
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी